

# मूल वाद मे अन्तिम डिक्री

(ओ 20 रूल 6-7जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर संगरिया

पीठासीन अधिकारी:- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस)

राजस्व वाद : खाता विभाजन, व ईस्तकरार हक

- 1 सुखराम पुत्र लाधूराम जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. रासुवाला तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

- वादी

बनाम

- 1 करनैल सिंह पुत्र वीर सिंह जाति जटसिख सा. रासुवाला तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

- 2 तहसीलदार राजस्व संगरिया तह. संगरिया

- प्रतिवादीगण

मु. स. 138/2023

,दावा अर्न्तगत धारा 88/53 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी अधिवक्ता वादी की ओर से दिया जाता है कि वादी का वाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है। तथा वादी व उक्त प्रतिवादीगण का निम्नानुसार खाता अलग कायम किया जावे : चक 7 आई.डी.जी. खाता स. 17/12 मे कुल रकबा 1.012 है0 मे मौका पर कब्जाकाश्त:-

- 1 सुखराम पुत्र लाधूराम जाति कुम्हार सा. रासुवाला 124/121 24 1/1/.228 1/2/.025 गै.मु.खाला 10-11-20/.253प्र कुल 1.012 है. नहरी मय गै.मु.

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भु.अ. संगरिया के पत्र क्रमांक:- प्रा.डिक्री/भू.अ./024/2314 दिनांक 21-06-2024 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निज.......... मुब्लिक.......... बाबत.......... खर्चा मुकदमें के मय शुदवा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .......... को अदा करें। बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक. 8.7.2024 को जारी की गई।

नोट :-यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

(राकेश कुमार मीना)  
सहायक कलैक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी संगरिया